



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 64360

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1173/2026

‘एक्स’ किशोर

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

अधिवक्ता श्री आफताब आलम उपस्थित हुए और उन्होंने शिकायतकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य के अधिवक्ता और शिकायतकर्ता/प्रतिपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री आफताब आलम की दलीलें सुनी गईं।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम)/न्यायालय संख्या 8, बलिया द्वारा पुलिस स्टेशन रेवती, जिला बलिया में दर्ज मामला अपराध संख्या 325/2025 में धारा 137(2), 87, 351(3), 333, 305A, 65(1) बीएनएस और धारा 3/4(2) पीओसीएसओ अधिनियम के तहत उत्पन्न आपराधिक अपील संख्या 98/2025 और उससे संबंधित आपराधिक अपील संख्या 116/2025, किशोर X पुत्र मोहन उर्फ चिराई गोंड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 12.12.2025 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, बलिया द्वारा प्रकीर्ण मामले संख्या 174/2025 में दिनांक 01.09.2025 और 30.09.2025 को पारित आदेशों को भी रद्द करने के लिए दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:

- (i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 16 वर्ष, 2 महीने और 17 दिन का नाबालिग था; वह 30.07.2025 से जेल में है;
 - (ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;
 - (iii) डीएसपी की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;
 - (iv) एफआईआर के विवरण और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़ित के बयानों में कुछ विरोधाभास है;
 - (v) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;
 - (vi) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;
 - (vii) याचिकाकर्ता को अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में रखा गया है।
 - (viii) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत परिकल्पित कोई भी आधार आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए उपलब्ध नहीं है।
 - (ix) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत मानते हुए चुनौती दी गई है।
- विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए ने इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का पुरजोर विरोध किया। यह निवेदन किया गया कि वर्णित घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

यह निर्विवाद है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है, 'यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क स्थापित होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाएगा या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी'।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपील न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें किशोर अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं:

- (i) यदि उसकी रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना हो, या
- (ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाए, या
- (iii) उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएँ।

इस प्रकार, यह लगभग निर्विवाद है कि घटना की तिथि पर आवेदक किशोर था; डीएसपी के अवलोकन के आलोक में, वह आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहराए। आवेदक की माता, अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं, यानी आवेदक की रिहाई के बाद उसकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का वचन देती है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रतीत होता है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत हैं और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। परिणामस्वरूप, वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता-X, मोहन उर्फ चिराई गोंड का पुत्र, अपनी प्राकृतिक अभिभावक श्रीमती प्रभावती देवी (माता) के माध्यम से, उपरोक्त मामले में आरोपित, को 20,000/- रुपये के व्यक्तिगत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) पुनरीक्षण याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा;
- (ii) पुनरीक्षण याचिकाकर्ता अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;
- (iii) पुनरीक्षण याचिकाकर्ता अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए एवं बीएनएसएस की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकती है।

रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दे।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

28 मार्च, 2026

बृजेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।